Shri Vijaypal. PA
Sh. Ram ...
04/01/...

राजस्थान सरकार

न्याय विभाग

क्रमांक—:PS/PSJ/2005/15/1572 से 1608 जयपुर, दिनांक—: 5/10/06

::—परिपत्र—:

समस्त
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
....

विषय—न्यायिक प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/नोटिस की प्रतियॉ न्याय विभाग को भेजने के सम्बन्ध में। (अलर्ट लैटर—पिंक कलर)

मुख्य सचिव महोदय के हस्ताक्षरों से जारी अ.शा.टीप दिनांक 13—12—2005 के द्वारा समस्त प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों को यह निर्देश दिये गये थे, कि दिनांक 30—11—2005 से जारी नये न्यायिक प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय /राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी केवल नोटिसेज/सम्मन्स की छाया प्रतियॉ न्याय विभाग में, न्यायिक प्रकरणों की मॉनीटरिंग करने हेतु भिजवायी जावे, सम्मन/नोटिस की छाया प्रति के साथ प्राप्त रिट याचिका/अपील (पेपर बुक) इत्यादि की प्रतियॉ संलग्न नहीं की जावे। इन निर्देशों के पश्चात भी कई विभागों द्वारा सर्वोच्च /राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/नोटिस की प्रतियों के साथ रिट याचिका/अपील इत्यादि की प्रतियॉ भेजी जा रही हैं, जो कि वांछनीय नहीं है।

इस दौरान यह देखा गया है कि एक न्यायिक प्रकरण में विभिन्न विभाग पक्षकार होने से सम्बन्धित समस्त पक्षकार विभागों से न्यायालय के नोटिस/सम्मन की प्रतियॉ न्याय विभाग में प्राप्त हो जाती है। इससे एक ही न्यायिक प्रकरण में कई विभागों को न्याय विभाग द्वारा अलर्ट लैटर (पिंक कलर) जारी हो जाता है। इससे अनावश्यक रूप से प्रकरणों की संख्या में वृद्वि हो जाती है।

अतः समस्त प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों से निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों एवं सम्बन्धितों को निर्देशित करें कि :—

(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय से प्राप्त रिट याचिका/अपील /पेपर बुक से यह सुनिश्चित किया जाए कि इस न्यायिक प्रकरण में मुख्य पक्षकार कौनसा विभाग है। सामान्यतयाः प्रकरण में जिस विभाग के आदेश को चुनौती दी गई है तथा जिस विभाग से अनुतोष चाहा गया है वो ही विभाग प्रकरण में मुख्य पक्षकार माना जाता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय से प्राप्त सम्मन/नोटिस आदि की प्रति न्याय विभाग को प्रेषित करते समय सम्मन/नोटिस पर मुख्य पक्षकार विभाग (Substantive Deptt.) का नाम अंकित कर दिया जाऐं ताकि मुख्य पक्षकार विभाग को ही न्याय विभाग द्वारा अलर्ट लैटर (पिंक कलर में) भेजा जा सके।

(2) सर्वोच्च न्यायालय/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त सम्मन की केवल छाया प्रति ही मुख्य पक्षकार विभाग (Substantive Deptt.) का नाम अंकित कर न्याय विभाग में भिजवायी जाए। समन के साथ प्राप्त रिट याचिका/अपील/पेपर बुक की प्रति एवं प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति आदेश की प्रति न्याय विभाग में नहीं भेजी जाए।

(3) न्याय विभाग में सम्मन प्राप्त होने पर न्याय विभाग द्वारा जारी अलर्ट लैटर (पिंक कलर) की रेस्पोन्स सीट को पृथक कर सम्बन्धित कॉलमस में आवश्यक इन्द्राज (Y or N को टिक कर) कर केवल रेस्पोन्स सीट ही सम्बन्धित द्वारा हस्ताक्षर कर, न्याय विभाग में तत्काल लौटायी जाए।